

अधिसूचना संख्या का. आ. 908(ई), दिनांक 20 सितम्बर, 2001

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35एसी के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 402(ई), तारीख 3 मई, 1995 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 7 पर, (ए) श्री रामकृष्ण विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और संचालन; (बी) श्री मणिकावसगम हाई स्कूल, पांडिपथरम पोस्ट, अवुदयारकोइल तालुक, पुदुकोट्टई जिला, तमिलनाडु में निर्माण और संचालन; और (सी) उपरोक्त दो स्कूलों के संचालन के लिए आवर्ती खर्च, श्री रामकृष्ण तपोवनम, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, पी.ओ. तिरुप्पारीथुराई, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु द्वारा, कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में 566(ई), दिनांक 7 जुलाई, 1998 द्वारा, कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए;

और चूंकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार छह वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने इस बात से समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11एम के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) श्री रामकृष्ण विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निर्माण और संचालन की योजना या परियोजना; (ख) श्री मणिकावसगम हाई स्कूल, पांडिपथराम पोस्ट, अवुदयारकोइल तालुक, पुदुकोट्टई जिला, तमिलनाडु का निर्माण और संचालन; और (ग) उपरोक्त दो स्कूलों के संचालन के लिए आवर्ती व्यय, जो श्री रामकृष्ण तपोवनम, पोस्ट बॉक्स सं. 1, पी.ओ. तिरुप्पारीथुराई, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु द्वारा मात्र एक करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट करती है।

[सं. 279/2001/एफ. सं. एन.सी-83/2001]